इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356] भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 जुलाई 2017—आषाढ़ 28, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्र. 17252-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 19 जुलाई 2017 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०१७

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० (क्रमांक २६ सन् १९७०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा ३ में, अंक, अक्षर तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" के स्थान पर, अंक, अक्षर तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१४" स्थापित किए जाएं.

धारा ५ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ५ में, अंक, अक्षर तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०११" के स्थान पर, अंक, अक्षर तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१४" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९७० (क्रमांक २६ सन् १९७०) की धारा ३ में उपबंध है कि किसी ग्राम में की समस्त दखलरहित भूमियां, जिन पर ३१ दिसम्बर, २०११ के पूर्व, ऐसे ग्राम के निवासियों ने निवास के प्रयोजन के लिए किसी भवन का परिनिर्माण कर लिया हो, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, ऐसे निवासियों को भूमिस्वामी अधिकार में आबंटित व स्थिर की जाएंगी.

२. राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि ग्रामीण क्षेत्र के कई निवासी, जो ३१ दिसम्बर, २०११ के पश्चात् दखलरहित भूमि पर वासस्थान का कब्जा रखे हुए हैं, ऐसी भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त नहीं कर सके हैं. ऐसी दखलरहित भूमि पर वासस्थान रखने वाले निवासियों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से, मूल अधिनियम को यथोचित् रूप से संशोधित किए जाने का विनिश्चय किया गया है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक २२ जून, २०१७.

उमाशंकर गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.